29-9-2020 | प्रार्थी के वकील उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

29/09/2020

अति. जिला कलक्टर

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:28:50 IST
Reason: SelfAttested